

अनुमति की शर्तें ।

- (a) नगर भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (c) भवन निर्माण प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (d) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

मकाल डिज़्नी कैम्पल आवासीय प्रयोजनात्मक

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 1166 दिनांक 21/01/2020

पार्थीया डिज़्नी प्रुजा प्लॉट की लक्ष्मीराज माण्डुर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

घास 124 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 6727/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/340, 341

दिनांक 21/01/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 82-42 चाँपासनी इडमिण
बाई

जी-1
आवासीय

Pat 27/1/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

रूपे-रुमाण्डुर 2 प्रुजा प्रुजा माण्डुर

Proposed

Received

2113640390